न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं0–M- 228/2016

धारा–107 दण्ड प्रक्रिया संहिता

विषम पातर वगैरह..... प्रथम पक्ष

बनाम

बिन्देश्वर साहू वगैरह.....द्वितीय पक्ष

	आदेश	
21-07-2017	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, बुण्डू के अप्राथमिकी संख्या–51/2016 दिनांक–18/12/2016 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के तहत द०प्र०सं० की धारा–107 के तहत उभय पक्षों के बीच कार्यवाही प्रारंभ की गयी है। प्रस्तुत वाद में दोनों पक्षों की ओर से कारण पृच्छा दाखिल की गई है। दोनों पक्षों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खण्डन करते हुए एक दूसरे पर शांति भंग करने का आरोप लगाया है। उभय पक्षों में खाता नं०–78, प्लॉट नं०–792, रकवा–1.30 डी० जमीन को लेकर विवाद है। प्रथम पक्ष गवाही– गवाह सं०–01(दूती कृष्ण पातर मुण्डा) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रति परीक्षण में बयान दिया है कि मैं दोनों पक्ष को जानता हूँ। उभय पक्ष में जमीन को लेकर विवाद है, विवादित जमीन प्रथम पक्ष का है, यह खतियानी जमीन है जिस पर द्वितीय पक्ष के लोग भट्ठा लगा रहे हैं। प्रथम पक्ष के लोग मना किए थे, उभय पक्ष में पकड़ा–पकड़ी हुआ था, मार–पीट होने वाला था, मारपीट नहीं हुआ था, विवादित जमीन द्वितीय पक्ष का खरीदगी जमीन होगा, जमीन का रसीद भी द्वितीय पक्ष के नाम से कटता होगा, प्रथम पक्ष के लोग द्वितीय पक्ष से जमीन को पाने के लिए केस किया ताकि उनके पूर्वज का जमीन उसे मिल जाए, हो सकता है। जब से केस चल रहा है उभय पक्ष में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। उभय पक्ष को आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं देखा हूँ। गवाह सं०–02(शिव दास पातर, पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि द्वितीय पक्ष के लोग मेरे पिता के जमीन में जमीन में ईंट भट्टा लगा रहा है, मना करने से नहीं मान रहे हैं। इसलिए केस किया हूँ, यह केस मैंनें किया है, केस जमीन के संबंध में है, 15–16 नवम्बर के बाद कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, धमकी देते हैं। मैं पुरूलिया जिले में रहता हूँ इसलिए यहाँ शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है। प्रतिपरीक्षण के क्रमांक–06, 07, 08, 09, 10, 11, एवं 13 में पूछे गए सभी सवालों पर बयान दिया गया है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है।	

द्वितीय पक्ष गवाही–

गवाह सं०–01(राम गुलाम सिंह मुण्डा) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रति परीक्षण में बयान दिया है कि मैं दोनों पक्ष को जानता हूँ, प्रथम पक्ष गाँव में नहीं रहते हैं, लगभग 60–65 साल पूर्व से प्रथम पक्ष गाँव में नहीं रहते हैं। विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष 60–70 वर्ष से रहते चले आ रहे हैं, बिन्देश्वर से पहले रामपदों साव रहता था, जो बिन्देश्वर साहू का श्वसुर है, प्रथम पक्ष यह केस गलत किया है, प्रथम पक्ष के पूर्वज राधानाथ पातर भी इस जमीन पर केस किया था, जिसमें राधानाथ पातर हार गया था। इस जमीन को लेकर कभी–भी उभय पक्ष में लड़ाई झगड़ा या मारपीट की बात नहीं सुना हूँ और ना कभी देखा हूँ, वहाँ लड़ाई झगड़ा या शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है। उभय पक्ष में झगड़ा नहीं हुआ है।

गवाह सं०–02 (बिन्देश्वर साहू, पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रति परीक्षण में बयान दिया है कि विवादित जमीन मेरा है, इस जमीन का मेरी पत्नी भवानी देवी के नाम पर रजिस्ट्री पट्टा है, इस जमीन के संबंध में प्रथम पक्ष के भईयाद राधा पातर ने खूँटी न्यायालय में धारा–71 के तहत मेरी पत्नी भवानी देवी के विरूद्ध केस किया था, इस केस में भवानी देवी का जीत हुआ था। प्रथम पक्ष के लोग गाँव में नहीं रहते हैं, बल्कि बंगाल में रहते हैं, प्रथम पक्ष के लोग 30 वर्ष से ऊपर से बंगाल में रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्रथम पक्ष जब बंगाल से आते हैं तो हमलोग झगड़ा झंझट करते हैं, विवादित जमीन पर मारपीट का कोई संभावना नहीं है। उभय पक्ष में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है।

उभय पक्षों के कारण–पृच्छा के अवलोकन, गवाहों की गवाही एवं विद्वान अधिवक्ताओं के बहस को सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज के आधार पर एवं द्वितीय पक्ष खरीदगी के आधार पर विवादित भूमि पर दावा कर रहे हैं। प्रथम पक्ष द्वारा स्वंय यह बयान दिया गया है कि उनके पुरूलिया (पश्चिम बंगाल) में रहने के कारण शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है।

इस वाद में हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है एवं सभी गवाहों के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है अतः वाद में बिना कोई प्रभावी आदेश पारित किए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

कार्यपालक दण्डाधिकरी,
बुण्डू(राँची)

21/07/17
कार्यपालक दण्डाधिकरी,
बुण्डू(राँची)